I/275608/2023

File No.12-2099/2380/2019- -2-

संख्या 306 /87-अति०ऊ०स्रो० /2023 78

Sr-82

संख्याः 200/23 /446233/12-2099/2380/2019

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर अयोध्या, मेरठ, बांदा।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 15 फरवरी, 2023

विषयः उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः 1101/87-8(1)/अति० ऊ० स्रो० वि०/2022, दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 की संलग्न प्रति का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश संख्या-1096/87-8(1)अति० ऊ० स्रो० वि०/2022 दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 द्वारा **उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति , 2022** का प्रख्यापन किया गया है तथा नीति की प्रति उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के लिंक http://upneda.org.in/MediaGallery/BIO_ENERGY_POLICY-28092022.pdf पर उपलब्ध है। उक्त पॉलिसी के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) नोडल एजेन्सी है।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कृषि विभाग से संबंधित कतिपय बिन्दुओं पर कृषि अनुभाग-2 के पत्र संख्या-1533/520820/446233/12-2099/2380/2019 दिनांक 28 अक्टूबर 2022 द्वारा कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। उक्त पत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2022 द्वारा दिये गये निर्देशों को समावेशित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

(i) उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022 के अन्तर्गत पंजीकृत परियोजनाओं तथा उनके कैचमेंट एरिया/कमाण्ड एरिया में सक्रिय फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों (एफ० पी० ओ०) / सहकारी समितियों/गन्ना समितियों को बायोमास के संग्रहण हेतु रेकर, बेलर तथा ट्रालर पर अपफ्रन्ट सब्सिडी कृषि विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत इन उपकरणों पर दी जा रही सब्सिडी को कृषि विभाग द्वारा नीति के अन्तर्गत स

(राम गोपाल)
निजी सचिव
अपर मुख्य सचिव
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
उ०प्र० शासन

थापित इकाईयों को प्रदान करने हेतु यथावश्यकता भारत सरकार से अतिरिक्त लक्ष्य की मांग की जायेगी। नीति के अन्तर्गत उपादान युक्त उपकरण सी0 बी0 जी0 संयंत्रों को कृषि अपशिष्ट उपलब्ध कराने हेतु उनके कैचमेंट में सक्रिय फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों/सहकारी समितियों/एग्रीगेटर को प्रदान किया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को दी गई सब्सिडी के अतिरिक्त सब्सिडी दी जायेगी।

(ii) अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा जारी की गई उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022 के अन्तर्गत परिभाषित एग्रीगेटर को केन्द्र सरकार के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अन्तर्गत संयंत्रों पर दी जा रही अधिकतम 50 प्रतिशत सब्सिडी के अतिरिक्त 30 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम रू0 20.00 लाख की सीमा तक) प्रदेश सरकार द्वारा बेलर, रेकर एवं ट्राली उपकरणों पर यू0 पी0 नेडा के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। अतः इन संयंत्रों के क्रय पर कुल परियोजना लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना से देय होगा तथा अतिरिक्त 30 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम रू0 20.00 लाख की सीमा तक) यू0 पी0 नेडा के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) बायोमास संग्रहण हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में न्यूनतम एक फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी का गठन, प्रशिक्षण तथा हैण्ड होल्डिंग की जायेगी। कृषि विभाग द्वारा कम्प्रेस्ड बायोगैस (सी0 बी0 जी0) संयंत्रों को कृषि अपशिष्ट की आपूर्ति हेतु उनके कैचमेंट एरिया में एफ0 पी0 ओ0 के गठन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के साथ ही उनके तथा एल0 ओ0 आई0 होल्डर्स के मध्य कृषि अपशिष्ट की दीर्घवाही आपूर्ति संविदा के निष्पादन हेतु फैसिलिटेशन किया जायेगा।

(iv) बायो सी0 बी0 जी0 संयंत्रों से सह-उत्पाद के रूप में निकलने वाले बायो-मैन्यूर को फर्टीलाइजर कन्ट्रोल आर्डर-1985 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 13 जुलाई, 2020 के द्वारा 'फरमंटेड ऑरगेनिक मैन्यूर' में शामिल किया गया है। कृषि विभाग तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा जैव ऊर्जा इकाईयों से उत्पादित आर्गेनिक खाद के प्रयोग संबंधी शोध, प्रसार तथा विक्रय, इसके सम्बन्ध में नियत विशिष्टियों एवं मानकों के अन्तर्गत किया जायेगा। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में कोई भी खाद की दुकान संचालित नहीं की जाती है तथा निजी एवं सहकारिता क्षेत्र में उर्वरक बिक्री हेतु लाइसेंस कृषि विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है। यह लाइसेंसधारक विक्रेता बायो-मैन्यूर को 'फरमंटेड ऑरगेनिक मैन्यूर' के रूप में क्रय एवं विक्रय हेतु इन उर्वरक विक्रेताओं द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जायेगा।

(v) राज्य कृषि उपज मण्डियों के अपशिष्ट के संग्रहण तथा सी0 बी0 जी0 संयंत्रों तक उनकी डिलीवरी हेतु भी मैकेनिज्म विकसित किया जायेगा। इसके लिए कृषि मण्डियों और सी0 बी0 जी0 संयंत्रों निवेशकों के बीच दीर्घावधि फीड-स्टॉक डिलीवरी संविदा सम्पादित की जायेगी।

(vi) जनपदों में कृषि अपशिष्ट (पराली), निवेशक को बाजार मूल्य पर सुगमता से उपलब्ध हो सके, इसके दृष्टिगत निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा:-

क्र0सं0	नाम	पद

600 2023

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3	डिप्टी आर0एम0ओ0	सदस्य
4	उप कृषि निदेशक	सदस्य-सचिव
5	जिला पंचायत राज्य अधिकारी	सदस्य
6	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
7	परियोजना अधिकारी, यू0पी0 नेडा	सदस्य
8	एफ0पी0ओ0 संगठन/एग्रीगेटर	सदस्य
9	जैव ऊर्जा उद्यमी	सदस्य

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by ऋषिरेन्द्र कुमार

(ऋषिरेन्द्र कुमार)

Date: 15-0?-2023 17:05:18

विशेष सचिव।

Reason: Approved

200(1)/23

संख्या: /446233/12-2099/2380/2019

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 के क्रम में।
2. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यू0पी0 नेडा)
3. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)

विशेष सचिव।